



Neutral Citation No. - 2026:AHC:51360-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या - 183 वर्ष 2026

एम/एस ग्रीनस्वर्थ एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड

.....अपीलार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी के अधिवक्ता	: एन.सी. गुप्ता (वरिष्ठ अधिवक्ता) सह अर्जित गुप्ता
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	: अंकित गौर (एस.सी.)

मुख्य न्यायमूर्ति की न्यायपीठ

**माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली
माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र**

1. प्रस्तुत अपील 21 दिवस के विलंब से दायर की गई है। विलंब क्षमा हेतु एक प्रार्थना-पत्र आज दायर किया गया है।
2. प्रार्थना-पत्र में दर्शाए गए कारणों, जो शपथ-पत्र द्वारा समर्थित हैं, तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि विलंब मात्र 21 दिवस का है, प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील दाखिल करने में हुआ विलंब क्षम्य किया जाता है।
3. वर्तमान अपील दिनांक 07.01.2026 को रिट-टैक्स संख्या 257 वर्ष 2022 में पारित आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने इस आधार पर कि जी.एस.टी. अपीलीय अधिकरण का गठन हो चुका है तथा उसके सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है, याचिकाकर्ता-अपीलार्थी को वैकल्पिक उपाय अपनाने हेतु निर्देशित किया तथा आदेश पारित करते समय अपीलार्थी के हितों की रक्षा हेतु आवश्यक निर्देश भी प्रदान किए, जब तक कि प्रकरण अधिकरण द्वारा सुना एवं निर्णीत न कर लिया जाए।
4. अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया कि विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा मात्र इस आधार पर कि जी.एस.टी. अपीलीय अधिकरण का गठन हो चुका है तथा सदस्यों की नियुक्ति हो गई है, आक्षेपित आदेश पारित करना उचित नहीं था। यह भी प्रस्तुत किया गया अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि दिनांक 01.02.2024 को विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा प्रकरण की सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया गया था, अतः उक्त स्थिति में प्रकरण को पुनः नहीं उठाया जाना चाहिए था।

5. यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि जब प्रकरण में प्रत्युत्तर एवं प्रत्युत्तर-प्रतिजवाब (रिजॉइंडर) पूर्व में ही दाखिल किए जा चुके थे, तब विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा पक्षकारों को वैकल्पिक उपाय अपनाने हेतु भेजे जाने का कोई औचित्य नहीं था।

6. यह भी प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि अधिकरण का गठन हो चुका है तथा सदस्यों की नियुक्ति हो गई है, तथापि अधिकरण के समक्ष अब तक नियमित सुनवाई प्रारंभ नहीं हुई है, अतः आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाना अपेक्षित है।

7. प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया कि उक्त रिट याचिका सहित अनेक रिट याचिकाएँ उस समय उच्च न्यायालय द्वारा इस कारण ग्रहण की गई थीं कि जी.एस.टी. अपीलीय अधिकरण का गठन नहीं हुआ था, तथा अब जब अधिकरण का गठन हो चुका है, तो प्रकरणों को अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का निर्देश दिया गया है तथा याचिकाकर्ताओं के हितों की पर्याप्त सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है; अतः अपीलार्थी को आक्षेपित आदेश के संबंध में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए।

8. हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

9. जहाँ तक यह प्रथम आपत्ति है कि दिनांक 01.02.2024 को प्रकरण को आंशिक रूप से सुना हुआ मानते हुए आगे की सुनवाई हेतु चिन्हित किया गया था, अतः दिनांक 07.01.2026 को विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा उसे नहीं उठाया जा सकता था, उक्त आपत्ति पूर्णतः निराधार है। यह तथ्य कि प्रकरण लगभग दो वर्षों तक आंशिक रूप से लंबित रहा तथा उस न्यायमूर्ति द्वारा, जिन्होंने उसे आंशिक रूप से सुना हुआ चिन्हित किया था, पुनः नहीं उठाया गया, यह इंगित करता है कि उक्त न्यायमूर्ति उपलब्ध नहीं थे। न्यायालय इस तथ्य का संज्ञान लेता है कि तत्पश्चात उक्त न्यायमूर्ति खंडपीठ में बैठने लगे तथा पिछले लगभग छह माह से अधिक अवधि से लखनऊ पीठ में कार्यरत हैं। माननीय मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा दिनांक 16.12.2013 को पारित प्रशासनिक आदेश के अनुसार, रोस्टर परिवर्तन होने पर सभी आंशिक रूप से सुने गए वाद स्वतः उस पीठ से मुक्त हो जाते हैं, जब तक कि माननीय मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा अन्यथा कोई आदेश पारित न किया जाए।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. दिनांक 16.12.2013 का आदेश निम्नानुसार है:-

"कोई भी लंबित वाद, दीवानी या आपराधिक, नए रोस्टर के प्रारंभ होने के पश्चात किसी न्यायालय में आंशिक रूप से सुना हुआ या संबद्ध नहीं माना जाएगा। सभी लंबित वाद नवीन रोस्टर के अनुसार संबंधित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किए जाएंगे, जब तक कि माननीय मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में अन्यथा आदेश पारित न किया जाए।"

11. उपर्युक्त के आलोक में, पूर्वोक्त आपत्ति पूर्णतः निराधार पाई जाती है।

12. जहाँ तक यह तर्क है कि प्रकरण में प्रत्युत्तर एवं प्रत्युत्तर-प्रतिजवाब दाखिल हो चुके थे, अतः याचिकाकर्ता को अधिकरण के समक्ष भेजने का कोई औचित्य नहीं था, मात्र इस आधार पर कि प्रत्युत्तर एवं प्रत्युत्तर-प्रतिजवाब दाखिल हो चुके हैं, उस प्रकरण को विचारार्थ ग्रहण करना, जहाँ वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, पर्याप्त नहीं है।

13. उपर्युक्त के अतिरिक्त, प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता द्वारा यह भी इंगित किया गया है कि यह सर्वविदित तथ्य है कि वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने के बावजूद, प्रारंभिक स्तर पर रिट याचिकाएँ अधिकरण के गठन के अभाव में ग्रहण की गई थीं। वर्तमान प्रकरण में याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका के अनुच्छेद 20 में भी यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि:-

"20. वर्तमान में भारत सरकार द्वारा कोई अधिकरण गठित नहीं किया गया है, अतः

द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के अभाव में यह रिट याचिका प्रस्तुत की जा रही है।"

14. यह तथ्य कि याचिकाकर्ता ने स्वयं अपनी याचिका में यह उल्लेख किया है कि अधिकरण के गठन के अभाव में उसने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, ऐसे में अधिकरण के गठन के पश्चात भी इस न्यायालय के समक्ष वाद को जारी रखने का आग्रह स्वीकार्य नहीं किया जा सकता।

15. जहाँ तक यह तर्क है कि नवगठित अधिकरण के समक्ष अभी नियमित सुनवाई प्रारंभ नहीं हुई है, विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा अपीलार्थी को अधिकरण के समक्ष भेजते समय उसके हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है, अतः इस संबंध में प्रस्तुत तर्क भी निराधार है।

16. प्रकरण की समग्र तथ्यात्मक स्थिति के आलोक में, हम यह पाते हैं कि विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। विशेष अपील में कोई सार नहीं है, अतः इसे **निरस्त** किया जाता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र) (मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली)

दिनांक : 13 मार्च 2026

ए.के. शुक्ला/ए.एच.ए.

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।